के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण ... दोनों पक्षों को नोटिस

अतः इस पत्रावली से संबंधित दोनों पक्षों को राजस्व लोक अदालत द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र पावा पर आयंदा दिनांक 01/06/2016 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

राजस्व वाद संख्या 70/2007 बाबूलाल वगैरा बनामः देवाराम वगैरा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 RTAct,1955

दिनांक 01.06.2016 केम्प पावा

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र पावा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। वादीपक्ष ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त भूमि में मेरे नाम की खातेदारी भूमि का सीमांकन का आदेश करवाया जाए तो पुनः दावा लगाने की स्वतंत्रता के साथ यह दावा लोक अदालत में विड्रोल करते है। वादीपक्ष का प्रस्तुत राजीनामा बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया।

हमने, वादीपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा इबारत एवं पत्रावली में वर्णित वाद–विषयक तथ्यों के बारे में विचारण करने के पश्चात् लोक अदालत की भावना से सुलभ–न्याय हेतु तहसीलदार सुमेरपुर, भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव व संबंधित पटवारी हल्का पावा को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा पावा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1976, 1877 कुल रकबा 3.11 हेक्टर में वादीपक्ष के हक–हिस्से की खातेदारी भूमि के बारे में आप सभी मौके पर उपस्थित रह कर यथासमय पर नियमानुसार सीमांकन की कार्यवाही सुनिश्चित करे। आदेश सुनाया गया।

इसके अलावा वादीपक्ष को वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् विधि अनुसार पुनर्वाद लाने की अनुमति प्रदान की जाती है और इस वाद पत्रावली को जरिए विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित में शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी * (राज.) सुमेरपुर, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner